रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या- **12**06/2025/**673**/22-2-202**5**-17(**47**)/202**1**

लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, रामपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कमल मिश्र (बन्दी सं0-289/2023) पुत्र श्री श्याम बिहारी, कोटवा, थाना-सराय इनायत, जनपद-इलाहाबाद(प्रयागराज) का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-807/2000 में भा०द०वि० की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-06, इलाहाबाद के दण्डादेश दिनाक 02.03.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा बन्दी की अपील दिनांक 24-03-2023 को निर्णीत करते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.01.2025 तक अपरिहार 19 वर्ष, 02 माह, 21 दिन तथा 24 वर्ष, 10 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या- 1206/2025/673(1)/22-2-2025एवं तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

4- जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज।

5- पुलिस आयुक्त, प्रयागराज।

6- अधीक्षक, जिला कारागार रामपुर।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि**0**) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि**0**) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in